न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी –भवानी सिंह, आर.ए.एस.

स्थगनप्रार्थना पत्र संख्या : 32/2020

प्रार्थीया	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
मैनादेवी		सरपंच व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से श्री मदनलाल चौधरीएडवोकेट।
2. अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 की ओर से श्री राजीव कुमार शर्मा एडवोकेट।
3. अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित।

—::**आदेश** ::—दिनांक

अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अपील प्रार्थीया के द्वारा श्रीमान के समक्ष पे”ा की है जो तामिल की स्टेज पर है। धारा 135 (2) के अधीन पंचायत भू अभिलेख अधिकारी के रूप में कार्य करती है अतः पंचायत के द्वारा दर्ज म्यूटे”ान की अपील धारा 75 (1) (एफ) के अधीन निदे”ाक भू अभिलेख (डिवीजनल कमि”नर) जोधपुर को होगो न की कलेक्टर को जिससे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील श्रीमान न्यायालय के समक्ष मेन्टेनेबल नही होने से खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थीया के द्वारा अपने आपको उक्त अपील में टीकूराम की एकमात्र पुत्री होना वर्णित किया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि टीकूराम की एक मात्र पुत्री ओमाकंवर पत्नी श्री गोकुलसिंह निवासी लाम्बिया तहसील जैतारण है, जिसका देहान्त हो चुका है तथा ओमाकंवर के वारिसान में ओमाकंवर के पति गोकुलसिंह एवं उनकी संताने आज भी जीवित है जिससे उक्त अपील में अपीलार्थी के द्वारा ओमाकंवर के एकमात्र पुत्री होने तथा ओमाकंवर की मृत्यु होने तथा ओमाकंवर के वारिसान के होने के तथ्य को छुपाते हुए तथा अपने आपको लालच के व”ाीभूत पुत्री बताते हुए एवं धोखा देने की नियत से गलत तथ्यों पर उक्त अपील पे”ा की है, जिसमें आव”यक पक्षकारो का संयोजन नही करने से अपील अपीलार्थी मन्टेनेबल नही होने से खारिज फरमाये जाने योग्य है। टीकूराम जी का देहान्त वर्ष 1983 में हुआ जिससे पहले ओमाकंवर का विवाह इत्यादि टीकूराम एवं उनके गोदपुत्र भंवरसिंह के द्वारा किया गया था तथा विवाह के समय समस्त औपचारिकताऍं एवं समस्त हिस्सा ओमाकंवर को अपने जोवित रहते टीकूराम जी के द्वारा किये गये तथा अप्रार्थीगणस के पिता भंवरसिंह के टीकूराम के गोदपुत्र होने की वल्दियत भी पूरे समाज एवं ग्राम को पता थी तथा समाज एवं परिवार के तमाम मौजिज व्यक्तियों एवं ओमाकंवर के समक्ष एवं सहमति से ही उक्त म्यूटे”ान संख्या 276 दर्ज किया गया जिसमें ओमाकंवर की पूर्ण सहमति थी तथा टीकूराम के समस्त रि”तेदारान एवं ओमाकंवर वक्त म्यूटे”ान बालिग थी जिससे टीकूराम जी के मृत्यु के करीब 37 वर्ष प”चात् उक्त मैनादेवी के द्वारा अपने आपको फर्जी तरीके से टीकूराम की पुत्री बताते हुए उक्त अपील मात्र लालच की व”ाीभूत होकर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई [illegible] मियाद अधिनियम में दी गई समय सीमा के बाद प्रस्तुत की गई है चूंकि अपीलार्थी [illegible] होना अपील में वर्णित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:51 IST
Reason: SelfAttested

रही है जिससे अपील में वर्णित कथनानुसार स्वयं पुत्री को अपने पिता की जमीन जायदाद के बाबत् जानकारी 37 वर्ष तक न हो ऐसा संभव नही है जिससे अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर होने से इसी आधार पर खारिज फरमाये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना पत्र पे"ा कर अप्रार्थीगणस का निवेदन है कि अप्रार्थीगणस का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थी की अपील आदे"ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत बार्ड बाई लॉ होने से खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का प्रार्थीया अधिवक्ताद्वारा जवाब प्रस्तुत नही करसीधे बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर प्रार्थीया का जवाब बंद किया गया।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2011 (2) आर.आर.टी. 973 पे"ा किया।

अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का व प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध म्यूटे"ान संख्या 276 जो ग्राम पंचायत बीनावास द्वारा दिनांक 06.10.1983 को स्वीकृत किया के विरूद्ध पे"ा की। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तरकरण कार्यवाही से सम्बंधित है जो कि राजस्व वाद की परिभाषा में नही आता है। इसलिए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील के सम्बंध में आदे"ा 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नही होते है। प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिकदृष्टांत 2011 (2) आर.आर.टी. 973 में भी माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया कि "Mutation proceeding is not a revenue suit & provision of order 7 rules 11 cpc are applicable to suits only." तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे"ा 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. में पे"ा किया तथा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र राजस्व वाद की परिभाषा में नही आता है अपितु प्रार्थना पत्र की परिभाषा में आता है। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे"ा 7 नियम 11 सी.पी.सी. विधि द्वारा वर्जित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः अप्रार्थीगणसंख्या 2 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे"ा 7 नियम 11 सी.पी.सी. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:51 IST
Reason: SelfAttested